



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01012024-251024
CG-DL-E-01012024-251024

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1]
No. 1]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 1, 2024/पौष 11, 1945
NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 1, 2024/PAUSHA 11, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2023

का.आ.1(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 109 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1359(अ), जो तारीख 13 मार्च, 2019 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, माल और सेवा कर परिषद की सिफारिश पर नई दिल्ली में माल और सेवा कर अपीलीय अधिकरण (जीएसटीएटी) की प्रधान पीठ का गठन करती है, जो इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. ए-50050/99/2018-एडी.1सीसीईएसटीएटी (पीटी.)]

बालसुब्रमणियन कृष्णमूर्ति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th December, 2023

S.O. 1(E).—In exercise of the powers conferred by the sub-section 3 of section 109 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) and in supersession of the Ministry of Finance, Department of Revenue's notification number S.O.1359(E), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 13th March, 2019, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, on the recommendation of the Goods and Services Tax Council, hereby constitutes the Principal Bench of the Goods and Services Tax Appellate Tribunal (GSTAT) at New Delhi, with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette.

[F. No. A-50050/99/2018-Ad.1CCESTAT(Pt.)]

BALASUBRAMANIAN KRISHNAMURTHY, Jt. Secy.

